

28<sup>2</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई। आज अधिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक...5/3/24 को पेश हो...

5<sup>0</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उमयपक्ष हकीम पीठासीन अधिकारी कुमाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक...28/3/24 को पेश हो...

28<sup>3</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उमयपक्ष हकीम पीठासीन अधिकारी कुमाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक...6/5/24 को पेश हो...

6<sup>5</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्तु उपाय आदेश आदेशों के अंतर्गत 1R10 CPC दिनांक 20/6/24 को पेश हो...

20<sup>6</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उमयपक्ष हकीम पीठासीन अधिकारी कुमाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक...8/7/24 को पेश हो...

8<sup>7</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उमयपक्ष हकीम पीठासीन अधिकारी कुमाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक...14/8/24 को पेश हो...

14<sup>8</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपक्ष उपस्थित। वकील धर्मराज ने आवेदन के अन्तर्गत का दोहराते हुए निवेदन किया कि विवाह हुए श्री स्वसरा नम्बर 607, 608, 609 वॉर्ड गाम खलपुरा लक्ष्मील भोपे हाल लक्ष्मील सीकर ग्रामीण में अभिलेखित है। अतिरिक्त उक्त अभिलेखित 1/4, 1/4 हिस्सा है। वारीगण/अधिकांश अर्ध हिस्से पर कब्जा है। अधिकांश तैरप 2 तेरु तथा अधिकांश हिस्सा 1 का भी उल्लेख का 1/4 हिस्सा अभिलेखित है। उक्त लक्ष्मील सीकर गाम के अन्तर्गत मयूर एमन मयूरखल पर है। अधिकांश को अभिलेखित करे अभिलेखित है। अतः उक्त उल्लेखित कुल वाप के निवाराण लक्ष्मील उमयपक्षकारण को एका निवेदनमा से पावद किया गया प्राप्ती है।

दौराते बहम वकील उमयपक्ष/अधिकांश गण ने माते अतिरिक्त एकावर कर उल्लेखित निवाराण/निवाराणपावा

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (द्वितीय), सीकर

हनुमान प्रसाद बनाम कोबूलाल भादि  
आपन मु. नं. 44/2619 वर्ष

आज्ञा - पत्र

श्रीभाषी निवेदनमा से पावद क्रिमे माते पर सहमति प्राप्त की।

बहम वकील उमयपक्ष उपस्थित। अद्य पर प्रथम विवाह गाम। वकील उमयपक्ष की सहमति के आधार पर उमयपालय के आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RT Act स्वीकार किया गया। अतः उचित समझा है।

अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RT Act स्वीकार किया जाकर निवेदनित हुए श्री स्वसरा नम्बर 607, 608 व 609 वॉर्ड गाम खलपुरा लक्ष्मील भोपे हाल लक्ष्मील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में उमयपक्षकारण को लक्ष्मील वाप/कुलवाप के निवाराण लक्ष्मील के अन्तर्गत न गते हेतु श्रीभाषी निवेदनमा से पावद क्रिमा प्राप्त है। पत्रावली केवल शुभारंभ के अन्तर्गत ही दायित्व पत्र है।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर  
यह पत्रावली आज दिनांक 14/8/24 को पेश करके उक्त उमयपालय के सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर